कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 1212 / FP/UK/ROAD/30064/2017 :देहरादून:दिनांकः 07 ~~अक्टूबर,~~ नवम्बर 2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद–चमोली के अन्तर्गत कर्णप्रयाग–नौटी–किरसाल मोटर मार्ग में खेत गधेरे से खेती जखेट चौरासैंण तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.410 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/30064/2017)

संदर्भः– भारत सरकार की पत्र संख्या–8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 04 / 2018 / एफ0सी0 / 2131 दिनांक 07–03–2018

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.820 है0 ग्राम–जखेट सिविल सोयम के स्थान पर ग्राम–पिंडवाली सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रू0 7,85,835.00 ऑनलाईन तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, गौचर द्वारा अपने पत्रांक 1627 / 1सी0(वन) दिनांक 20–10–2018 के द्वारा सूचित किया गया है कि पूर्व में चयनित ग्राम–जखेट सिविल सोयम भूमि जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 7077 दिनांक 30–08–2018 के द्वारा पत्र में उल्लिखित कारणों से नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में सूचित किया गया, जिसके क्रम में ग्राम पिन्डवाली 2.820 है0 सिविल भूमि का म्यूटेशन वन विभाग के नाम किया गया है। उक्त संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि का डिजिटल / ज़ियो रेफिरेन्स मानचित्र मूल में एवं उपयुक्तता प्रमाण–पत्र तथा म्यूटेशन की गयी भूमि के अभिलेख संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। **(संलग्नक–1)**
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 9,26,370.00 ऑनलाईन तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है।
3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने की बचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–2)**
4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार ऑनलाईन जमा की गयी कुल धनराशि रू0 17,12,205.00 के रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–3)**
5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित **Strip Plantation** की वचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–4)**

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

संख्या 1212 / FP/UK/ROAD/30064/2017 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर।
3. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, गौचर, चमोली।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक